

अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42-DIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			2,00
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i>	1771,98,00		
पूरक	<i>Supplementary</i>	555,13,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>	2327,11,00	2248,40,69	-78,70,31
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	203,00,00	83,48,79	-119,51,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			118,72,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 2.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2020" - "आय और व्यय पर करों का संग्रहण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (7870.31 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 55513.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" - "Collection of Taxes on Income and Expenditure" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7870.31 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of Rs.55513.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure			
मू.	O.	162047.00		
पू.	S.	50768.00	208876.72	205295.50
पु.	R.	-3938.28		-3581.22

(I) "निदेशन और प्रशासन - अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" के अंतर्गत 6823.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 198.09 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7021.39 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1658.38 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विक्रेताओं के बिलों की अदायगी किए जाने, प्रकाशन की अधिप्राप्ति किए जाने और यात्रा व्यय के संबंध में कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Research, Statistics and Publication" - the original provision of Rs.6823.30 lakhs was augmented to Rs.7021.39 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.198.09 lakhs. However, there was a saving of Rs.1658.38 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims towards payment of bills of vendors, procurement of publication and travel expenses.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान भी प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following heads also remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(A) "Direction and Administration" -

(क) "अन्वेषण" - 1271.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 376.61 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1648.11 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो दैनिक मजदूरों को अदायगी किए जाने, समयोपरि भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय संबंधी कम दावे प्राप्त होने और पुरस्कार संबंधी कम मामले होने के कारण 38.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Investigation" - the original provision of Rs.1271.50 lakhs was augmented to Rs.1648.11 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.376.61 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.38.19 lakhs - due to receipt of less claims towards payment of daily wagers, OTA, medical reimbursement, travel expenses and less rewards cases.

(ख) "संगठन और प्रबंधन सेवाएं" - 691.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 347.12 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1038.42 लाख रु. कर

(b) "Organisation and Management Services" - the original provision of Rs.691.30 lakhs was augmented to Rs.1038.42 lakhs by obtaining

दिया गया, तथापि, जो समयोपरि भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय की अदायगी किए जाने और विज्ञापन एवं प्रचार से संबंधित कम दावे प्राप्त होने के कारण 38.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of Rs.347.12 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.38.45 lakhs - due to receipt of less claims towards payment of OTA, medical reimbursement, travel expenses and advertisement and publicity.

(ग) “निरीक्षण” - 201.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 64.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 265.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो समयोपरि भत्ते की अदायगी किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा व्यय संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण 33.70 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) “Inspection” - the original provision of Rs.201.00 lakhs was augmented to Rs.265.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.64.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.70 lakhs - due to receipt of less claims towards payment of OTA, medical reimbursement and travel expenses.

(खा) “संग्रहण प्रभार - आयकर” -

(B) “Collection Charges - Income-Tax” -

(क) “आयुक्त और उनके कार्यालय” - 160828.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 53595.94 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 214424.34 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, समयोपरि भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विदेशी दौरा व्यय, प्रकाशन की अधिप्राप्ति, बीसीटीटी मामले, विज्ञापन और प्रचार, पुरस्कार मामले संबंधी दावे कम प्राप्त होने और परियोजनाओं/निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 6025.85 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) “Commissioner and their offices” - the original provision of Rs.160828.40 lakhs was augmented to Rs.214424.34 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.53595.94 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6025.85 lakhs - due to non-filling up of vacant post, receipt of less claims of OTA, medical reimbursement, foreign travel expenses, procurement of publication, BCTT cases, advertisement and publicity, less reward cases and non-finalisation of projects/works.

(ख) “आयकर और धन कर मामलों के लिए व्यवस्थापन आयोग” - 639.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 118.24 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 757.94 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो दैनिक वेतनभोगियों, समयोपरि भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विदेश और घरेलू दौरा व्यय, कार्यालय भवन का किराया और प्रचार संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण 43.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) “Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases” - the original provision of Rs.639.70 lakhs was augmented to Rs.757.94 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.118.24 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.43.79 lakhs - due to receipt of less claims of daily wagers, OTA, medical reimbursement, foreign and domestic travel expenses, rent of office building and publicity,

(गा) “अन्य व्यय - विभागीय कैटीन” - 500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान

(C) “Other Expenditure - Departmental Canteens” - the original provision of Rs.500.00 lakhs was

प्राप्त करके बढ़ाकर 700.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 72.63 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

augmented to Rs.700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.72.63 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष "4059"
लोक निर्माण कार्यों पर
पूंजीगत परिव्यय

Head
Major Head "4059"
Capital Outlay on
Public Works

मू.	O.	19800.00	8367.00	8287.80	-79.20
पु.	R.	-11433.00			

मुख्य शीर्ष "4075"
विविध सामान्य सेवाओं
पर पूंजीगत परिव्यय

Major Head "4075"
Capital Outlay on
Miscellaneous General Services

मू.	O.	200.00	61.00	60.99	-0.01
पु.	R.	-139.00			

मुख्य शीर्ष "4216"
आवास पर पूंजीगत परिव्यय

Major Head "4216"
Capital Outlay on Housing

मू.	O.	300.00
पु.	R.	-300.00			

(I) 300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - आय कर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत संपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों का समाशोधन न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready built Flats" - due to non-clearance of proposals for purchase of properties.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 11512.20 लाख रु. की बचत (19800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4057" - "आयकर अधिनियम-1961 के अध्याय XX-ग के अधीन अचल संपत्तियों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 139.01 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों का कम अधिग्रहण किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings – Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation" – saving of Rs.11512.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19800.00 lakhs) was due to non-completion of procedural formalities by the implementing agencies.

(III) Under Major Head "4075" - "Acquisition of immovable properties under chapter XX-C of Income Tax Act-1961" - saving of Rs.139.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to less acquisition of properties.
